

37/२०१७

21 JAN. 2011

सेवा में:

1. माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय,
मुख्य न्यायाधीश कार्यालय, उच्चतम् न्यायालय,
नई दिल्ली
2. माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय,
मुख्य न्यायाधीश कार्यालय, इलाहाबाद उच्च
न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
3. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
4. माननीय कानून मंत्री महोदय,
विधि एवं न्याय मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय,
रायसीना हिल्स, नई दिल्ली-०१
5. माननीय कानून मंत्री महोदय,
विधि एवं न्याय मंत्रालय, उत्तर प्रदेश,
केन्द्रालय ६३/०४, कैलाश टॉवर, वजीरपुरा रोड़,
संजय पैलेस, सिविल लाईन, यू०पी० २८२००२
6. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, (सी.एम. ऑफिस)
उत्तर प्रदेश सरकार, लाल बहादुर शास्त्री भवन,
तृतीय मंजिल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
7. श्रीमान वरिष्ठ आरक्षी अधीक्षक महोदय,
वरिष्ठ आरक्षी अधीक्षक कार्यालय, जिला बुलन्दशहर,
उत्तर प्रदेश।

महोदय,

मेरा नाम दिनेश कुमार पुत्र श्री चन्द्रभान वर्मा
निवासी- भूँड गली न०.१ शान्तिनगर जिला बुलन्दशहर
का निवासी हूँ। मैं अपने एक सहपाठी को लेकर
विकलांग होने की वजह से नवम्बर २०११ के तीसरे
हफ्ते में कचहरी पिताजी से मिलने गया था। वहां पर

८९११.८३

21 JAN. 2011

मेरे पिता जिनकी जान पहचान श्री जय प्रकाश शर्मा
 (एस.ए.ओ.) थी उनके पास लेकर गये और उनसे बातों
 ही बातों में बोले कि मेरे लड़के को कोई रोजगार
 दिलवा दीजिए, यह विकलांग है। यह अपने बच्चों को
 पाल लेगा। एस.ए.ओ. साहब ने मुझे दो-तीन दिन बाद
 आवे को कहा और कहा मैं दो तीन दिन में कोई
 व्यवस्था करता हूँ। मैं तीन दिन बाद एस.ए.ओ. साहब
 के पास गया। उन्होंने मुझे ए.डी.जे.-15 के कार्यालय
 में कार्य करने को कह दिया और कहा कि मेरनत से
 काम करते रहो। शाम को रोटी का खर्च मिलता
 रहेगा। तथा वैकेंसी निकलते ही मैं तुझे स्थायी भर्ती
 करा दूँगा। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे परमानेन्ट करने
 के एवज में 50,000/- रुपये मांगे और कहा कि
 उपर तक पहुँचाना होता है, मैं किसी तरह व्यवस्था कर
 15,000/- रुपये दिसम्बर 2011 में दिये थे, बाकी
 के 35,000/- रुपये परमानेन्ट होने के बाद देने का
 वायदा किया था। उसके बाद जब भी मैं इनसे
 परमानेन्ट करने की बात करता या नहीं परमानेन्ट होने
 की स्थिति में रुपये लोटाने की बात करता, तो ये
 बोलते थे कि चिंता मत कर, जल्द ही परमानेन्ट कर
 दूँगा, लेकिन बाकी के रुपये तो दो, लेकिन ये हर दिन
 100-125रुपये दिलवाते थे, जिसमें मेरे घर का खर्च
 किसी तरह चल पाता था, जिस कारण न तो आज तक

[21 JAN 2011]

२३। ५।

मैं इतनी बाकी रकम वज़ इंतजाम कर पाया और न ही
ये मुझे परमानेन्ट कर पाये और न ही मेरा दिया हुआ
15,000/- रुपये मुझे वापिस लौटाये। मेरी तरह
इन्होंने और भी कई लोगों को व्यायालय में बंधूआ
मजदूर की तरह रखा हुआ है। स्थिति यह है कि मैं
उन दिनों से आज तक रोटी का खर्च लेते हुये
व्यायालय में मेहनत से कार्य करते हुये, स्थायी होने
की प्रतिक्षा कर रहा हूँ। तभी से मैं शोषण व अत्याचार
जिंदगी जीने की जंग लड़ रहा हूँ और आने वाले
वादकान्दियों का कार्य करके उनसे पैसा लेकर बड़े बाबू
को उनके निर्देश के अनुसार देता आरहा हूँ। तथा, वो
शाम को रोजी-रोटी का खर्च उन्हीं पैसों में से
100-125/- रुपये देते रह है। मैंने व्यायालय के हर
कार्य में जैसे बाबू से लेकर आवाज लगाने का कार्य
तक पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से किया है और मेरी
तरह सैकड़ों लोग व्यायालय में बंधुआ मंजदूरी व
शोषण के शिकार हो रहे हैं अब मुझे ज्ञात हुआ कि
मेरा भविष्य निश्चित नहीं है मेरा कान पकड़ कर बाहर
का रास्ता कभी भी ये लोग दिखा सकते हैं और यदि
मैं इनका भष्टाचार उजागर करता है तो मेरा और मेरे
परिवार की जान जा सकती है। मेरे द्वारा रुपया देने
के बाद भी मेरी नौकरी अब तक रथाई नहीं हुई है

निम्रा जू।

21 JAN 2011

और अब एस.ए.ओ. रिटायर हो चुके हैं। मेरे सब्र का बांध टूट गया है।

मैंने जो बाबू व विविध अन्य पदों पर कार्य किये हैं इससे मेरा हस्तलेख न्यायालय के विविध विभागों के फाईलों में विभिन्न “आदेश जो मैंने अपने हाथ से लिखे व जज साहब से हस्ताक्षर करवायें हैं” के रूप में ‘मेरे कार्य करने के सबूत के तौर पर’ मौजूद है, जिसकी अभिप्रमाणित छाया प्रतियों की छायाप्रति इस शिकायत पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ।


मैंने विभागों के विविध रजिस्टरों में जो अपने हाथों से इन्ड्राज (एन्ट्री) किये हैं, उसकी अभिप्रमाणित प्रतिलिपि देने का चलन या रिवाज बुलन्दशहर जिला व्यायालय में नहीं है। अतः अभिप्रमाणित प्रतिलिपि के बदले उन विभागों के रजिस्टरों के नाम मैंने लिख दिये हैं, जो इस शिकायत पत्र के साथ संलग्न है। विभागों से उन रजिस्टरों के अभिप्रमाणित प्रतिलिपि मांगकर हमारे हस्तलेख से मिलाना किया जा सकता है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मेरी निष्ठा व ईमानदारी पूर्वक किये गये न्यायालय के कार्य में योगदान को नजर रखते हुये तथा मेरे शोषण व आत्मार का हिसाब करते हुये मुझे स्थायी करने के आदेश तत्काल माननीय उच्च न्यायालाय तथा माननीय जिला

न्यायाधीश बुलन्दशहर को देकर मेरी ये मेरे परिवार की
जान की रक्षा कर न्याय करने की कृपा करें। क्योंकि
न्याय व्यवस्था पर नागरिक के मूल अधिकार संरक्षित
करने को जिम्मेदारी है।

१२१२१७

न्याय की आशा में
दिनेश कुमार (दिव्यांग)



ATTESTED

NOTARY PUBLIC
GOVT OF INDIA, DELHI

121 JAN 2017

दिव्यांग

विभागों के रजिस्टरों का विवरण

1. सत्रवाद रजिस्टर : इस रजिस्टर में सैशन द्रायल की पत्रावली का आने का विवरण व निर्णित दिनांक तथा अभियुक्त के निर्देष व दोषी होने का विवरण दर्ज होता है।
2. कीमिनल अपील : इस रजिस्टर में लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील संस्थीत हेतु पत्रावली का विवरण दर्ज होता है।
3. कीमिनल रिविजन : इस रजिस्टर में लोअर कोर्ट के विरुद्ध आदेश में रिविजन दायर का विवरण दर्ज होता है।
4. कीमिनल मिसलेनियस : इस रजिस्टर में गवाह के पेक्षाद्वारा हेतु 344 सी.आर.पी.सी. व जमानतियों के विरुद्ध 446 सी.आर.पी.सी. के केस का विवरण दर्ज होता है।
5. जुर्माना रजिस्टर : इस रजिस्टर में सैशन द्रायल में निर्णित पत्रावली में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित धनराशि का विवरण दर्ज होता है।
6. स्याह रजिस्टर : इस रजिस्टर में दैनिक प्रार्थना पत्रों पर अंकित टिकट का विवरण दर्ज होता है।
7. गवाह रजिस्टर : इस रजिस्टर में साक्ष्य हेतु गवाहा को खर्चा व प्रमाण पत्र दिये जाने का विवरण दर्ज होता है।

प्रिया शुभा

8. स्पेशल केस रजिस्टर : इस रजिस्टर में एस.सी./एस.टी. एक्टो से सम्बन्धित व पोकसो एक्टो से सम्बन्धित पत्रावली विवरण दर्ज होता है।
9. एफ.आर. रजिस्टर : इस रजिस्टर में थाने से एफ.आर. लगाई गई केस डायरियों पर वाद कायम हेतु रजिस्टर में दर्ज होता है।
10. जमानत प्रार्थना पत्र रजिस्टर : इस रजिस्टर में दैनिक जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु विवरण दर्ज होता है।
11. डाक वही रजिस्टर : सम्मन नोटिस व अन्य कागज विजवाने हेतु रजिस्टर में अभियुक्त के रिहाई आदेश व अन्य कागज विजवाने सम्बन्धित विवरण दर्ज होता है।
12. दैनिक रजिस्टर क्रीमिनल : इस रजिस्टर में सत्रवाद की पत्रावलियों का दैनिक विवरण लगाकर आगे दर्ज करना अगामी दिनों के लिए सुचारू रूप से निकालने हेतु पत्रावलियों का विवरण दर्ज होता है।
13. दैनिक रजिस्टर सिविल : इस रजिस्टर में सत्रवाद की पत्रावलियों का दैनिक विवरण लगाकर आगे दर्ज करना अगामी दिनों के लिए सुचारू रूप से निकालने हेतु पत्रावलियों का विवरण दर्ज होता है।
14. चालान वही : इस रजिस्टर में माह में निर्णित होने वाली पत्रावलियों को दाखिल दफ्तर करने का विवरण दर्ज होता है।

१५० शा जु।

15. जुर्माना रसीद : इस जुर्माना रसीद में अभियुक्त के खिलाफ धनराशि वसूलने हेतु रसीद देने का विवरण दर्ज होता है।

16. सिविल रजिस्टरों का विवरण :

अ. एम.ए.सी. रजिस्टर : इस रजिस्टर में मोटर दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों के परिवार को मुआवजा दिलाने हेतु पत्रावली दर्ज की जाती है।

ब. सिविल अपील रजिस्टर : इस रजिस्टर में सिविल अपील लोयर कोर्ट के आदेश के विरुद्ध पत्रावली दर्ज की जाती है।

स. लघूवाद केस रजिस्टर : इस रजिस्टर में लघूवाद पत्रावलियों दर्ज की जाती है।

द. सुजराय रजिस्टर : इस रजिस्टर में एम.ए.सी. निर्णित पत्रावलियों में कम्पनी से वसूली हेतु पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाती है।

इ. सन्दर्भ भूमि वाद रजिस्टर : इस रजिस्टर में भुमि सम्बन्धि मुआवजे से सम्बन्धित पत्रावली दर्ज की जाती है।

इन सारे रजिस्टरों पर मेरे हाथ से इन्द्राज (एन्ड्री) दर्ज की गई है।

ATTESTED

१५
NOTARY PUBLIC
GOVT OF INDIA DELHI

१५ अगस्त २०१८

दिनेश कुमार

REGISTERED ENTRY

AT SH. NO 37/2017

DATE 21 JAN 2017
शपथ-पत्र

मैं, दिनेश कुमार पुत्र श्री चन्द्रभान वर्मा निवासी-
भूड़ गली न0.2 शान्तिनगर जिला बुलन्दशहर, उत्तर
प्रदेश, शपथपूर्वक इकरार करता हूँ कि:-

1. यह है कि शपथकर्ता के द्वारा दिया गया उपरोक्त नाम व पता सत्य एवं सही है।
2. यह है कि शपथकर्ता के द्वारा एक लिखित शिकायत सबूत सहित पूर्णतः सत्य एवं सही है।
3. यह है कि संलग्न शिकायत पत्र सबूत सहित इस शपथपत्र का हिस्सा है जिसे दौबारा से नहीं लिया जा रहा है।
4. यह है कि उपरोक्त शपथपत्र में जितनी भी बातें लिखवायी गई हैं वह मैंने पढ़वाकर सुन व समझ लिया है जो पूर्णतः सत्य एवं सही है।

१५३७
शपथकर्ता

सत्यपान:-

आज दिनांक 21 JAN 2017 मेरे द्वारा दिये
गये तथ्ये सत्य एवं सही है ईश्वर मेरा साक्षी है।

१५३७
शपथकर्ता

ATTESTED

NOTARY PUBLIC
GOVT OF INDIA, DELHI

21 JAN 2017